

THE JHARKHAND GAZETTE EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 797

26 Shrawan, 1940(S)

Ranchi, Friday, 17th August, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification 16th August, 2018

Notification No. -20/2018 – State Tax(Rate)

S.O. No. 56 Dated. 17th August, 2018-- In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Department of Commercial Taxes, No.5/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 35, dated the 29th June, 2017, namely:-In the said notification, in the opening paragraph the following proviso shall be inserted, namely,

- "Provided that,-
 - (i) nothing contained in this notification shall apply to the input tax credit accumulated on supplies received on or after the 1st day of August, 2018, in respect of goods mentioned at serial numbers1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C and 7 of the Table below; and
 - (ii) in respect of said goods, any unutilised input tax credit lying in balance, after payment of tax for and upto the month of July, 2018, on the inward supplies received up to the 31st day of July 2018, shall lapse.".

2. This notification shall come into force on the 27th July, 2018.

[File.NoVaKar / GST / 05/ 2018] By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal

Additional Chief Secretary.

Note:-The principal notification No.5/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 35, dated the 29th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 44/2017-State Tax(Rate) dated 14th November, 2017 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 124, dated the 14th November, 2017.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 16 अगस्त, 2018

अधिसूचना सं॰. 20/2018- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं॰- 56 दिनांक- 17 अगस्त, 2018-- झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के उपवाक्य (ii) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर एतद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 5/2017, राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून 2017, जिसे एस. ओ. सं. 35, दिनांक 29 जून 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, मे प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में, निम्निलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा, "बशर्ते कि,-

- (iii) इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात नीचे दी गई सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6क, 6ख, 6ग और 7 में उल्लिखित वस्तुओं के मामले में 01 अगस्त, 2018 को या उसके बाद से प्राप्त आपूर्ति पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लागू नहीं होगी; और
- (iv) उक्त वस्तुओं के मामले में, बाकी पढ़े कोई भी अनप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट कर के भुगतान के पश्चात तथा जुलाई माह 2018 तक, 31 जुलाई, 2018 तक प्राप्त अंत:वर्ती आपूर्ति पर, समाप्त हो जाएगी।
- 2. यह अधिसूचना 27 ज्लाई, 2018 से प्रवर्तित होगी ।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/05/2018] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

> के॰ के॰ खण्डेलवाल, अपर म्ख्य सचिव ।

नोट: मूल अधिसूचना सं॰ 5/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, एस. ओ. सं. 35, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 44/2017- राज्य कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 जिसे एस. ओ. सं. 124, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
